[2022] 9 S.C.R. 731

"मध्य प्रदेश राज्य"

बनाम

मैसर्स एसईडब्ल्यू निर्माण लिमिटेड और अन्य।

(नागरिक अपील संख्या 8571 / 2022)

18 नवम्बर, 2022

[ए. एस. बोपन्ना और पामिदिघंटम श्री नरसिंहा, न्यायमूर्तिगण]

माध्यस्थ - माध्यस्थम पंचाट- इस संदर्भ में, राज्य ने मेसोनी बांध का निर्माण के लिए टेंडर नोटिस जारी मध्यस्ती किया और यह अपीलकर्ता - ठेकेदार सफल बोलीपट्टा था- काम के क्रम में, ठेकेदार ने एक वैकल्पिक पत्थर के लिए अनुरोध किया जिसे अस्वीकार किया गया और मामला मध्यस्ती के लिए संदर्भित किया गया - इसके बाद, ठेकेदार ने एक और वैकल्पिक पत्थर के लिए एक और अनुरोध किया (माहुअर पत्थर) - निरीक्षण के बाद, गठित समिति ने अनुरोध को मंजूरी दी और ठेकेदार को शर्तपूर्ण अनुमति दी - शर्तपूर्ण अनुमति के बावजूद, ठेकेदार ने परिवादित परिवहन लागत के रूप में 5,51,03,040/- रुपए का दावा किया - प्राधिकृत द्वारा दावा अस्वीकार किया गया था परंतु समान तरीके से वह मध्यस्थता प्रक्रिया में मध्यस्थ द्वारा स्वीकार किया गया था- उच्च न्यायालय ने माध्यस्थम पंचाट को पुनः स्वीकृति दी - इसलिए त्वरित अपील - अभिनिर्धारि**त** किया गया है: जो अनुबंधिक शर्त होती है जो ठेकेदार द्वारा उद्घाटित दरों की अंतिमता को प्रदान करती है और उचित शर्तों के अधीन अंशकरण का कोई भविष्य का दावा नहीं करने की अनुमति देती है, वह पक्षों पर प्रतिष्ठित और बाध्य होती है और यदि भविष्य के दावों को बाधित करने वाली कोई शर्त उपस्थित होती है, और इस शर्त को पूरा किया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में वास्तव में ठेकेदार के नियंत्रण से परे परिस्थितियां थी, तो ठेकेदार को उनकी मांग करने का अधिकार होगा।

अनुबंध:: सरकारी अनुबंध- अनुबंध के शर्तों के अनुसार, अनुबंध की प्राधिकृतियों और कर्तियों का अधिकार या कर्तव्य बने रहते हैं या खत्म हो जाते हैं - हालांकि यदि अनुबंध की पक्ष किसी सरकारी प्राधिकृति है, तो ठेकेदार प्रबंधित करने वाले अधिकारियों को विशेष विवेक के लिए कोई स्थान नहीं है- प्रबंधनिक विधिक्षेत्र के अंतर्गत विधायिका, विवादनिवारण मामलों में निर्वाचन का कोई स्थान नहीं है, जब तक, बिल्कुल, पक्ष ने इसे ठेकेदार का हिस्सा बताने के रूप में व्यक्त रूप से शामिल नहीं किया है- यह अदालत की अवश्यक ड्यूटी है कि जब वह समझौतों के शर्तों की व्याख्या करती है, तो ऐसी किसी भी विवेचना को खारिज कर दे जो संपूर्ण रूप से समझौते के क्षेत्र से बाहर है।

"

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1 उच्चता की मांग का निर्धारण संविदा की धारा 3.11(A) के निर्माण पर निर्भर करता है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि उच्चता की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक संविदा के

नियंत्रण से परिप्रेक्ष्य न हो। इसके अलावा, मांग केवल कार्य के अधीक्षक अभियंता के लिखित आदेश पर ही स्वीकार्य है। इस मामले में दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। पहली बात में, निरीक्षण रिपोर्ट स्पष्ट रूप से सूचित करती है कि मौलिक खदान में रेत समाप्त हो गई है और इसलिए संविदा के कार्यान्वयन के लिए एक वैकल्पिक खदान आवश्यक है। दूसरी बात, यह बिल्कुल ठेकेदार के नियंत्रण के बाहर का परिस्थिति है। इसके अलावा, मुख्य अभियंता द्वारा दी गई अनुमति शर्त की पूरी संतोष के साथ है। इसलिए बढ़त का दावा अनुबंध की शर्तों के पूरी संतोष के रूप में है। [अनुच्छेद 18]

2. जो संविदानिक समझौता की ऐसी धारा जो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत मूल्यों की अंतिमता की प्रावधान करती है और आगामी दावों को बढ़ाने की अनुमति नहीं देती है, वह पक्षों पर निर्णायक और बाध्यकारी होती है। अगर आगामी दावों को नकारने वाली धारा किसी शर्त के अधीन उचित मूल्य वृद्धि की अनुमति देती है, तो अगर शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो कोई दावा स्वीकार योग्य नहीं है। हालांकि, यदि शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो ठेकेदार को बढ़त का दावा करने का अधिकार होता है। यह एक संविदात्मक अधिकार है। अधिकार संविदा के विचार से ही उत्पन्न होता है और इसे बनाए रखना है। यह अदालत की जिम्मेदारी है, संविदा की व्याख्या करते समय पार्टियों का सच्चा और सही अभिप्रेत अर्थ निकालना और संविदा से उत्पन्न अधिकारों को लागू करना। संविदा को प्रशासित करने वाले अधिकारी किसी भी प्रकार से उचित मूल्य वृद्धि को स्वीकार या अस्वीकार करने में कोई विवेक नहीं रखेंगे, जब संविदा में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाती हैं। [अनुच्छेद 22]

"3. कार्यकारी अभियंता ने अनुच्छेद 3.11 (ए) की दायरे की सीमा के बाहर काम किया है। अनुच्छेद के तहत, यदि ठेकेदार के नियंत्रण के बाहर किसी परिपर्याप्तता मौजूद होती है और काम के अधीक्षक अभियंता इस प्रभाव में लिखित आदेश देते हैं, तो बढ़त की मांग करने का अधिकार उत्पन्न होता है। जब अनुच्छेद 3.11 (ए) के तहत प्रदान की गई दो शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो कार्यकारी अभियंता को बढ़त की मांग के लिए किसी और शर्तों को लागू करने का कोई विवेक नहीं रह गया था। कार्यकारी अभियंता ने बेशक अनुबंध के सीमा के बाहर कार्रवाई की है। कार्यकारी अभियंता की भूमिका केवल अधीक्षक अभियंता के निर्णय को आगे बढ़ाना और ठेकेदार को बढ़त के लिए दावा करने की सुविधा प्रदान करने की थी।"[अनुच्छेद 23-740]

4. समझौते की पक्षों के अधिकार और कर्तव्य समझौते के ही मान्यता के अनुसार होते हैं या नष्ट होते हैं। यदि समझौते का कोई पक्ष सरकारी प्राधिकृत हो भी, तो समझौता प्रबंधित कर रहे अधिकारियों में किसी भी प्रकार की विवेकाधिकार की कोई जगह नहीं है। प्रशासनिक कानून के प्रांत में विवेकाधिकार का सिद्धांत, समझौते के मामलों में किसी भी स्थिति में स्थान नहीं रखता है, जब तक, बेशक, पक्ष इसे समझौते के हिस्से के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं करते हैं। यह अदालत की अबाधित कर्तव्य है कि जब वह समझौते के शर्तों की व्याख्या करती है, तो वह किसी ऐसे विवेकाधिकार का अभ्यास त्याग दे जो पूरी तरह से समझौते के क्षेत्र से बाहर है। [अनुच्छेद 24]

5. वर्तमान मामले में, यह कि बढ़त क्या उचित है या नहीं, यह एक अलग मामला है, और यह मध्यस्ती अधिकरण के लिए संदर्भित सबूतों पर निर्णय करने का काम है। यह एक तथ्य की खोज होगी। यह यह कहने के लिए है कि मध्यस्थ बढ़त के दावे को स्वीकृत करने में उचित थे, क्योंकि बढ़त के लिए दावा करने की प्रारंभिक शर्तें जो कि निरीक्षण रिपोर्ट और उपाधिकर्ता अभियंता के पत्र द्वारा स्वीकृत हैं, उन्हें पूरा किया गया है।[अनुच्छेद 25-741]

नागरिक अपीलीय प्राधिकरण: नागरिक अपील संख्या 8571/2022

उच्च न्यायालय की निर्णय और आदेश से दिनांक 03.05.2019 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ग्वालियर पीठ में अधिकरण पुनरावलोकन संख्या 04 का 2009 ।

सौरभ मिश्रा, एएजी (उप-महानिरीक्षक), अभिनव श्रीवास्तव, सन्नी चौधरी, माधव गुप्ता, प्रतिनिधित्व करने वाले, अपीलकर्ता के लिए।

डॉ. मेनका गुरुस्वामी, वरिष्ठ वकील, डी. भारत कुमार, अमन शुक्ला, यश एस. विजय, उत्कर्ष प्रताप, एम. चंद्रकांत रेड्डी, संदीप सिंह, मिसेस कादम्बरी, नवीन कुमार ठाकुर, रमेश्वर प्रसाद गोयल, प्रतिवादियों के लिए मुखरित वकील।"

अदालत का निर्णय प्रस्तुत किया गया था।

पामिदिघंटम श्री नरसिंहा, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान किया गया।

2. यह अपील मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा एक अधिकरण पुनरावलोकन संख्या 4 का 2009 के निर्णय के खिलाफ है, जो मध्य प्रदेश मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 19831 के धारा 19 के अंतर्गत था, जिसमें अधिकरण के पंचाट को मान्यता दी गई थी।

3. माध्यस्थम पंचाट और उसके बाद उच्च न्यायालय के निर्णय तक पहुँचने वाले संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित रूप से कहे जा सकते हैं।

4. राज्य ने एक मेसनरी बांध के निर्माण के लिए एक नीलामी नोटिस जारी की [2], और आखिरकार, प्रतिवादि संख्या 1 (इसके बाद 'ठेकेदार' के रूप में संदर्भित किया जाता है) को सफल बोलीपट्टा के रूप में चुना गया। 06.11.1993 को कुल मूल्य के रूप में 1,22,81,86,600/- रुपये के लिए एक समझौता किया गया, जो साठ महीनों के अंदर पूरा किया जाने का था ।

5. क्योंकि इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला केवल मुद्दा ठेकेदार द्वारा की गई वृद्धि की दावा से संबंधित है, इस संबंधित धारा यहां प्रस्तुत किया गया है ।

"3.11(A) ठेकेदार की उद्धरण दी गई दरें, लीड और लिफ्ट सहित होंगी और किसी भी स्थिति में किसी भी सामग्री के लिए लीड या लिफ्ट के लिए अलग-अलग भुगतान की अनुमति नहीं होगी, जिसमें पानी शामिल है। उसी तरह नीलामी दस्तावेजों में प्रेषित सामग्री के लिए कोई भी लीड या लिफ्ट नहीं भुगतान की जाएगी। ठेकेदार को मान्यता प्राप्त कुवालिती की सामग्री लानी चाहिए। प्राधिकृत खदान अनुलग्नक सी में दिखाए गए हैं। अनुलग्नक सी में दिखाए गए विवरण केवल ठेकेदार के लिए मार्गदर्शक के रूप में हैं, लेकिन नीलामी देने से पहले ठेकेदार को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित होना चाहिए कि उपलब्ध सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता के साथ और अनुलग्नक सी के सभी अन्य विवरणों के साथ उसकी खुद की तय हो और लीड, लिफ्ट, खदान करने के स्थान और तरीका, खदान किस प्रकार की चट्टानों को किस प्रकार से खदान करना है और उसके सम्पूर्ण दिशाओं के संदर्भ में अपने प्रेषित दर में किसी भी विवाद के लिए निर्धारण करेगा। बाद में किसी भी दावा को किसी भी परिस्थिति के अलावा मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक कि किसी खदान को लिखित आदेश के तहत ठेके के नियंत्रण के बाहर होने के परिस्थितियों के लिए किसी प्रकार की दावा नहीं किया जाता है, जो कार्य के प्रभारी अभियंताके लिखित आदेश के तहत होता है।"

6. हालांकि यह समझौता 1993 में किया गया था, लेकिन काम को बहुत समय तक रोक दिया गया और यह 18.09.2000 को फिर से शुरू हुआ। समझौते के तहत निर्माण काम को करते समय, ठेकेदार ने 07.03.2002 को एक वैकल्पिक खदान की मांग की, जिसे 11.03.2002 को कार्यपालक अभियंताने इनकार कर दिया। कार्यपालक अभियंताके निर्णय को 12.12.2002 को अधीक्षक अभियंताद्वारा भी पुष्टि किया गया और इससे ठेकेदार ने इस मामले को मध्यस्थताके लिए संदर्भ की मांग की (जिसे इसके बाद 'पहले आर्बिट्रेशन' के रूप में संदर्भित किया गया है)"।

7. जब ऊपर संदर्भित वैकल्पिक खदान के लिए की गई दावा और इसके बाद मध्यस्थता के संदर्भ में प्रक्रिया चल रही थी, तो ठेकेदार ने महुआर खदान से रेत खुदाई के लिए एक वैकल्पिक खदान के लिए अपने अनुरोध को फिर से नवीनीकृत किया। इस बार यह अनुरोध 20.10.2002 को किया गया था। इस अनुरोध के आधार पर, एक समिति के दो कार्यपालक अभियंता और एक उप-मण्डलीय अधिकारी का समिति ने ठेकेदार

को प्राथमिक रूप से दिया गया खदान की जांच की, अर्थात बरुआ सैंड खदान जो कि ठेकेदार को दिया गया था, और नये प्रस्तावित खदान, अर्थात महुआर सैंड खदान। इस जांच रिपोर्ट की तारीख 31.10.2002 थी, जिसमें सूचित किया गया कि समझौते के तहत प्राथमिक रूप से दिया गया खदान में कोई भी रेत उपलब्ध नहीं थी और महुआर खदान की जांच के लिए ठेकेदार द्वारा की गई अनुरोध के लिए न्यायाधान था, जिसमें पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध था।

8. जांच रिपोर्ट के बाद, अधीक्षक अभियंता ने अपने 12.11.2002 के पत्र में ठेकेदार को महुआर खदान से रेत खुदाई की अनुमति दी। यहां महत्वपूर्ण है कि अधीक्षक अभियंता के विशेष और स्पष्ट कथन का उल्लेख करना है कि उनके पत्र के तहत दी गई अनुमति को समझौते के क्लॉज 3.11(A) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रखा जाएगा। पत्र का संबंधित हिस्सा निम्नलिखित है I

".....इसके अनुसार, जांच और चर्चा के बाद, महुआ नदी के बालू खदान से बालू निकालने की अनुमति, कार्यपालक अभियंताको सुझाई जाती है, ताकि निर्माण काम पर कोई अप्रिय प्रभाव न हो। इस संबंध में टेलीफोन पर, मैंने मुख्य अभियंताके साथ 31/10/2002 को विचार किया और उनकी 17/09/2002 और 18/09/2002 की जांच रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया है कि, अगर बरुआ नाला बालू खदान में बालू उपलब्ध नहीं होता है तो महुआ नदी से बालू प्राप्त किया जा सकता है, जिसे उन्होंने 31/10/2002 को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान पुष्टि की..

....इसलिए यह मार्गदर्शन दिया गया है कि कार्यपालक इंजीनियर, मदिखेड़ा बांध (कंक्रीट बांध), सिंध प्रोजेक्ट और कार्यपालक इंजीनियर, सिंध प्रोजेक्ट (मट्टी का बांध), बरुआ नाला के स्थान पर, संविवाद सौदे की शर्त 3.11A के तहत प्रोजेक्ट के लिए महुआर नदी की बालू का उपयोग किया जाए, अनुमति दी जाती है। कार्यपालक इंजीनियरों को यह भी मार्गदर्शन दिया गया है कि वे संविवाद सौदे की शर्त 3.11A के तहत संविदाकार समझौते के तहत आवश्यकता अनुसार उपकर्णकार को अनुमति दें, ताकि निर्माण काम पर कोई अप्रिय प्रभाव न हो।

9. उपर संदर्भित अधीक्षक अभियंता के पत्र के अनुसरण में, कार्यपालक अभियंता ने उनके पत्र के तहत महुआर खदान का शर्तिक अनुमति दी, जिसकी तारीख 23.12.2002 थी, जिसमें निम्नलिखित कहा गया था:

"महुआ नदी से बालू इकट्ठा करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है।

1. माना जाता है कि अनुबंध दर में पहले से ही आपदान दर में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त व्यय के लिए प्रावधान है, इसलिए इस खाते में अतिरिक्त आगमन के लिए कोई भुगतान स्वीकार्य नहीं है, और इस विषय पर इस कार्यालय द्वारा कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

5. इस परिवर्तन के लिए कोई अतिरिक्त समय, भाग्य या भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

10. कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई शर्तिक अनुमति के बावजूद, ठेकेदार ने पहली बार 10.11.2006 को महुआर खदान से बालू के परिवहन से हुई बढ़ी लागत के लिए 5,51,03,040/- रुपये का वृद्धि के प्रति दावा दर्ज किया। इस अनुरोध को अधीक्षक अभियंता ने अपने 14.12.2006 के पत्र में अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि:

> "समझौते की न.ल.टी. की धारा 2.25 के पृष्ठ 50 और नोट परिशिष्ट -सी के पृष्ठ 85 के अनुसार, 'यह बयान केवल ठेकेदार के मार्गदर्शन के लिए है। टेंडर को आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता की उपलब्धता की दृष्टि से संतोषपूर्ण होना चाहिए।'"
>
> इसलिए इस धारा के अनुसार टेंडर को शांतिपूर्ण होने के लिए पूर्व से ही उपयोग किये जाने वाले सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता की उपलब्धता के बारे में संतोषपूर्ण होना चाहिए। लीड चार्ट केवल मार्गदर्शन के लिए है। इसलिए यह पहलू टेंडर के साथ जुड़े हुए कार्यों की सूची के आइटम में शामिल है (अनुलग्नक-1), और इस पृष्ठ का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाता है।
>
> इसलिए उपर संदर्भित समझौते के इस धारा के अनुसार आपका बालू के अतिरिक्त लीड के दावा मान्य नहीं है और इसलिए खारिज किया गया है।

11. अधीक्षक अभियंता द्वारा दावे की ऊपर संदर्भित खारिज करने पर, ठेकेदार ने अधिनियम की धारा 7 के तहत विधिक विवाद के समाधान के लिए दावा किया।

12. 26.11.2008 को जारी निर्धारण के अनुसार, विधिक विवाद के समाधान के लिए ठेकेदार द्वारा दावा स्वीकृत किया गया और 5,51,03,040/- रुपये की राशि को ठेकेदार के पक्ष में 9% ब्याज के साथ दिया गया। अधिनियम की धारा 19 के तहत प्राधिकृत किए गए पुनर्विचार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। उच्च न्यायालय ने राज्य के तर्कों को खारिज किया और मुख्य रूप से तीन कारणों पर ठेकेदार के दावे को स्वीकृत किया: (a) ठेकेदार द्वारा दायित्व समय सीमा के द्वारा नहीं बाधित होता है; (b) पुनः न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है, और (c) ठेकेदार को अनुबंध की धारा 3.11(A) में प्रदान वृद्धि मिलती है।

पक्षों के द्वारा प्रस्तुतियाँ"

13. मध्यप्रदेश राज्य के जाने-माने महाधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा ने यह दावा किया कि ठेकेदार द्वारा किया गया दावा पुनरावलोकन द्वारा बाधित है। वास्तव में, वह यह मतलब है कि ठेकेदार द्वारा 07.03.2002

को किया गया मूल दावा, जिससे पहले विधिक माध्यस्थम पंचाट तिथि 06.10.2007 के तहत दायर और खारिज होने के लिए जाने की प्रारंभ और निरस्त हो गया, और इसलिए एक ही प्रकार का दावा अपर्याप्त है। श्री सौरभ मिश्रा ने हमें अतिरिक्त संग्रह में पत्रों के माध्यम से ले जाया, जिनमें विधिक विवाद की अनुरोध की प्रमाणिकता, कार्यपालक अभियंताद्वारा 11.03.2002 को खारिज किए जाने और उसके बाद अधीक्षक अभियंता द्वारा 12.12.2002 को खारिज किए जाने की सूचना कार्यपालक अभियंताद्वारा 12.12.2002 को खारिज किए जाने के बाद, विधिक विवाद के संदर्भ में सूचना दिनांक 24.12.2002 को, और इसके पहले माध्यस्थम पंचाट जो दिनांक 06.10.2007 को जारी किया गया था, के संक्षिप्त संकेत। इनमें से किसी भी तथ्य का विवाद मिसेज मेनका गुरुस्वामी जो ज्ञानी वरिष्ठ वकील हैं, जो प्रतिवादि की ओर से उपस्थित हो रही हैं, द्वारा विवाद नहीं किया गया है ।

14. श्री सौरभ मिश्रा ने यह भी दावा किया कि अधीक्षक अभियंताके पत्र दिनांक 12.12.2002 के बाद कार्यपालक अभियंताके पत्र द्वारा आपत्ति के बिना, ठेकेदार द्वारा माना और स्वाधिकार में लिया गया था। केवल चार वर्षों के बाद, ठेकेदार ने पहली बार एक वृद्धि के लिए एक दावा उठाया, जिसमें वह 10.11.2006 के पत्र द्वारा 5,51,03,040/- रुपये की राशि का दावा कर रहे थे। इसलिए, उनका यह दावा उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आखिरकार यह भी सुझाव दिया कि जबकि अधीक्षक अभियंताने 14.12.2006 को देरी से भी दान की अपील को खारिज किया, तो विधिक शर्तों के अनुसार दावा समय सीमा से बाहर था क्योंकि दावा केवल 10.12.2007 को किया गया था।

15. राज्य के प्रस्तावनाओं का खंडन करते हुए, मिसेज मेनका गुरुस्वामी ने यह दावा किया कि बालू ठेके के कार्य का पूर्वावश्यक घटक है। पहले, उसके ग्राहक के लिए दिया गया लीड बारुआनाला क्वॉरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। लीड से परिवहन और बालू को उठाने का संयुक्त प्रतिष्ठान लागत का एक हिस्सा बनाते हैं। इन दोनों घटकों का ठेकेदार के लाभकारीपन पर गंभीर प्रभाव होता है। उनके अनुसार, एक मान्य तथ्य है कि बालू ठेके से बालू उधारण से रिक्त हो गया था और इसलिए ठेके को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक स्थल प्रदान करने की आवश्यकता बन गई। हालांकि, वैकल्पिक स्थल एक अतिरिक्त 40 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए उसके ग्राहक को बालू के परिवहन के लिए अतिरिक्त लागत उठानी पड़ी। इसी कारण अधीक्षक अभियंता और कार्यपालक अभियंताने आवश्यक मंजूरी देने के बाद मंजूरी दी है और इसलिए वृद्धि का दावा जायज है।

16. इसके आगे यह दावा किया गया कि पहले माध्यस्थम पंचाट जिसकी तिथि 06.10.2007 है जिसने पूर्व दावा को खारिज किया, वर्तमान प्रक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि पूर्व भाग के आधार पर है और वर्तमान विवाद उसके बाद के दौरान संबंधित होगा। उन्होंने यह दावा किया कि जैसा कि विधिक विवाद की अनुरोधना पूर्व विभाग के बाद के हिस्से से संबंधित है, इसलिए पूर्व माध्यस्थम पंचाट को पुनरावलोकन के रूप में काम नहीं कर सकता है।

17. हम इसी चरण पर यह कहेंगे कि इस तरह का तर्क अवाम्य विचार का प्रभाव डालता है जिसका परिणामस्वरूप अवैध व्याख्या है। ठेका एक एकमात्र समझौता है, जिसका उद्देश्य एकल दायित्व के रूप में पूर्ण किया, किया और छुड़ाने का है। ठेके के अंतर्गत के अधिकार और कर्तव्यों को इसे दो भागों में बाँटकर अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। इस तरह का तर्क, इसलिए, प्रारंभ में खारिज किया जाता है। हालांकि, हम अब अन्य प्रस्तावनाओं का विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

विश्लेषण और जाँच - परिणाम:

18. वृद्धि के दावे की निर्धारण ठेके के खंड 3.11(A) के निर्माण पर निर्भर करती है, जिसमें कहा गया है कि वृद्धि के दावे को तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि ठेका पर कबू के बाहर परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। और दूसरे, दावा केवल कार्य के प्रभारी अधीक्षक अभियंताके लिखित आदेश के बाद ही मंजूर है। हमारी दृष्टि से, दोनों शर्तें पूरी होती हैं। पहले मामले में, 31.10.2002 को दिनांकित परीक्षण रिपोर्ट स्पष्ट रूप से सूचित करती है कि मूल खदान से बालू उधारण की गई है और इसलिए ठेके का पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक खदान की आवश्यकता है। दूसरे, यह वाकई ठेकेदार के कबू के बाहर का परिस्थिति है। इसके अतिरिक्त, 12.11.2002 को दिनांकित अधीक्षक अभियंता द्वारा मंजूरी दी जाने वाली अनुमति इस खंड की आवश्यकता के पूरी संतोष का हिस्सा है। हमारी राय है कि वृद्धि का दावा ठेके की शर्तों को पूरी तरह से संतोषजनक रूप से है।

19. राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना यह है कि वास्तव में विधिक विवाद का दावा वास्तव में पुनरावलोकन द्वारा बाधित है। हमने इस प्रस्तावना की विस्तार से जांच की है और हमारे फैसले निम्नलिखित हैं।

20. पहले बालू खदान के बदलने के लिए अनुरोध 07.03.2002 को किया गया था। इस अनुरोध को कार्यकारी अभियंताने 11.03.2002 को खारिज किया और अधीक्षक अभियंताने 12.12.2002 को पुष्टि की। कोई तथ्यात्मक आधार जिससे आवश्यकता का पर्याप्त आदान-प्रदान हो या ठेकेदार के नियंत्रण के बाहर के परिस्थितियों का सबूत नहीं था, पहली बार 24.12.2002 को ही विधिक विवाद के लिए दावा किया गया। यही संदर्भ है जिसे विधिक मंडली ने विचार किया और उसके 06.10.2007 को माध्यस्थम पंचाट द्वारा खारिज किया। जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, (a) मध्यस्थ की मांग 2002 में ही की गई थी, (b) ठेकेदार के अधिकार के बाहर होने का सबूत नहीं था, (c) अधीक्षक अभियंता द्वारा खदान बदलने की मंजूरी देने के लिए लिखित आदेश नहीं था, (d) वास्तव में अधीक्षक अभियंता और कार्यकारी अभियंता द्वारा एक वैकल्पिक खदान के दावे को खारिज करने की चिट्ठियाँ थीं। इन चार कारणों से पहले विधिक माध्यस्थम पंचाट और वर्तमान प्रक्रियाओं के बीच में सब बदल जाता है। इसलिए, पुनरावलोकन का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

21. एक और सवाल जिसके लिए विचारणा बाकी है, वह है कार्यकारी अभियंताकी शर्तानुसार अनुमति देने की चिट्ठी के संबंध में। श्री सौरभ मिश्र ने यह प्रस्तावित किया है कि जबकि ठेकेदार वैकल्पिक खदान को स्वीकार करते हैं, वे वृद्धि की कोई शर्त से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम इस प्रस्ताव को अब देखेंगे।

22. एक ठेका की शर्त जो ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों की अंतिमता की प्रावधान करती है और वृद्धि के लिए किसी भविष्य के दावों को नकारने की अनुमति नहीं देती है, पक्षों पर प्रतिबद्ध और बाध्य होती है। अगर वृद्धि के लिए भविष्य के दावों को नकारने वाली शर्त निश्चित शर्तों के अधीन होती है, तो कोई दावा मंजूर नहीं होगा अगर शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। हालांकि, अगर शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो ठेकेदार को वृद्धि का दावा करने का अधिकार होता है। यह एक ठेकेदारिक अधिकार है। यह अधिकार स्वयं ठेके के आधार पर उत्पन्न और बना रहता है। समझौते का अर्थ ठेकेदारों द्वारा इच्छित और सही अर्थ को खोजने और समझने की कर्तव्य होता है और समझौते से उत्पन्न होने वाले अधिकारों को पूरा करने का कर्तव्य होता है। समझौते को व्याख्यान करते समय न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पर्याप्त और सही अर्थ को दिखा पाए जिसे पक्षों ने इच्छित किया था और समझौते से उत्पन्न होने वाले अधिकारों को पूरा करें। समझौते का प्रशासन करने वाले अधिकारी को एक बार पूरा किए जाने के बाद वृद्धि को स्वीकार या खारिज करने का कोई विवेक नहीं होता है।

23. हमारी राय में, कार्यकारी अभियंताने अनुच्छेद 3.11(A) की दायरे के बाहर कार्रवाई की है। अनुच्छेद के अंतर्गत, यदि ठेकेदार के नियंत्रण के बाहर किसी परिस्थिति मौजूद है और कार्य के प्रभारी अधीक्षक अभियंता इसके प्रति एक लिखित आदेश प्रदान करते हैं, वृद्धि की मांग करने का अधिकार उत्पन्न होता है। जब अनुच्छेद 3.11 (A) के तहत दो शर्तें पूरी होती हैं, तो कार्यकारी अभियंताको वृद्धि की मांग करने के लिए किसी और शर्तों को लागू करने के लिए कोई विवेक नहीं बचा था। हमारे ख्याल में, कार्यकारी अभियंताने समझौते के दायरे के बाहर विचार किया है। कार्यकारी अभियंता की भूमिका केवल मुख्य अभियंता के निर्णय को आगे भेजना और ठेकेदार को मूल्य वृद्धि का दावा उठाने में सक्षम करना था।

24. *विवेक के संदर्भ में, हम इस सिद्धांत को पुनः दोहराना चाहेंगे। ठेके की पक्षों का हक और कर्तव्य समझौते की शर्तों के आधार पर ही बने रहते हैं या नष्ट होते हैं। यदि समझौते की पक्ष को समझौते की पक्ष हो, तो समझौते को प्रबंधित करने वाले अधिकारियों के पास कोई विवेक की जगह नहीं होती। विवेक, प्रशासनिक कानून के क्षेत्र के अंदर एक सिद्धांत होता है, जिसके दिलचस्पी मामलों में कोई जगह नहीं होती, यह तो बिल्कुल उस समझौते के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाता है, जब तक कि समझौते के हिस्से के रूप में उसे स्पष्ट रूप से समाहित न किया हो। यह न्यायालय का कर्तव्य होता है कि समझौते की शर्तों का व्याख्यान करते समय, जिसे समझौते के पूर्णतः बाहर है, उस विवेक का अभिवादन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, जो समझौते के अंदर के क्षेत्र के बाहर होता है।*

25. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आकर, यह कि वृद्धि या नहीं यह एक और मामला है, और यह स्थिति के आधार पर दायर होता है कि दायर कर्ता की संदर्भ में मांग की प्राधिकृता का निर्णय करने के लिए प्रमाणों के आधार पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्णय देना है। वह एक तथ्य का निर्णय होगा, जिसके साथ हमारा कोई लेन-देन नहीं है। उपरोक्त कारणों के लिए, हम इस मान्यता हैं कि माध्यस्थ ने समझौते की शर्तों के पूरा होने के बाद मांग को स्वीकृति देने में न्याय समझते हैं क्योंकि वृद्धि की मांग करने के लिए एक प्राधान शर्त है कि निरीक्षण रिपोर्ट के अद्यतित होने के बाद एक दिनांक 31.10.2002 को अधीक्षक अभियंताकी पत्र से पूरा किया जाता है।

26. श्री सौरभ मिश्रा की आखिरी मांग है कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 19 की धारा की दायरे के बाहर कार्यवाही की है। अधिनियम की धारा 19(2) निम्नलिखित है:

"19. उच्च न्यायालय की संशोधन की शक्ति: (1).....

(2) अगर यह उच्च न्यायालय को लगता है कि अधिकरण –

a) ने एक अधिकार का अभ्यास किया है जो कानून द्वारा इसमें स्थापित नहीं किया गया है; या

b) इस तरह निहित अधिकार का उपयोग नहीं किया; या

(c) अपने अधिकार का अव्यवस्थित या गंभीर अनियमितता के साथ अभ्यास किया है; या

(d) खुद को या कार्यवली को दुराचार किया है; या

(e) ऐसा पुरस्कार किया है जो अमान्य है या किसी पक्ष द्वारा अयोग्य रूप से प्राप्त किया गया है, उच्च न्यायालय जैसा समझता है वह इस मामले में ऐसा आदेश दे सकता है।

(3) उच्च न्यायालय इस अनुभाग के तहत किसी पुनरावलोकन का निर्णय करते समय, जितना संभव हो, वही शक्तियां प्रयोग करेगा और वही प्रक्रिया अपनाएगा जैसा वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सं. 5 का 1908) के अनुभाग 115 के तहत एक पुनरावलोकन निर्णय करते समय करता है "(3) इस धारा के तहत किसी संशोधन को निर्णय करते समय, उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संख्या 5, 1908) की धारा 115 के तहत संशोधन को निर्णय करने के लिए किए गए तरीके और उसी शक्तियों का प्रयोग करना होगा, जब तक कि वह विचार नहीं करता है।"

27. विस्तार से मामला जांचने के बाद, हमें यह विचार है कि माध्यस्थ द्वारा प्रक्रिया के प्रवर्द्धन में कोई अधिकारिकता की ग़लतियाँ या दुराचार के कार्य या अमान्यता या अनुचितता के घटनाएँ नहीं हैं। इस कारण, उच्च न्यायालय ने यथासमय माध्यस्थ अधिकरण द्वारा दिये गये माध्यस्थम पंचाट में हस्तक्षेप नहीं करके, धारा 19(2) के अंतर्गत अपने संशोधनीय अधिकार का प्रयोग सही रूप से किया है।

28. ऊपर उल्लिखित कारणों के आधार पर, विशेष अवकाश याचिका (सी) संख्या 907 का उत्पन्न होने वाला नागरिक अपील इसी के अनुसार खारिज किया जाता है।

29. पार्टियों को अपने खर्चे खुद उठाने होंगे।

देविका गुजराल अपील खारिज की जाती है।

(सहायक : महेंद्र यादव, एलसीआरए)"

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित